11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प जबलपुर

नि -1468-I-16

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

तुलसीराम मरावी पिता अकल सिंह मरावी

जाति गौंड (आदिवासी)

मकान नं. 32, ग्राम ऐंठखेड़ा तहसील व

जिला जबलपुर म0प्र0 ...... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर ---- गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-4-2016 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 63/अ-21/2015-16.

मान्यवर

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 63/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1468-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-5-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 25-4-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उनकी ओर से की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक तुलसीराम मरावी पिता श्री अकल सिंह मरावी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ऐंठाखेड़ा प.ह.नं. 28 फनवानी, रा0नि0म0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. क्रमशः 243, 245, 258/1, 271, 258/2 रकबा क्रमशः 0.650, 0.200, 0.800, 0.390 एवं 0.320 हैक्टर कुल रकबा 2.36 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री राजीव जुनेजा पिता श्री एस.के. जुनेजा को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, जबलपुर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण तथा आवेदक को पारिवारिक कारणों से पैसों की आवश्यकता होने के कारण उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन को खारिज कर प्रकरण में 3 माह आगे की तिथि नियत करदी है जो न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम ऐंठखेड़ा तथा ग्राम रामपुर नकटिया में 5.90 हैक्टर भूमि शेष बचती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ऐंठखेड़ा प.ह.नं. 28 फनवानी, रा0नि0म0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. क्रमशः	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1468 -एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	243, 245, 258/1, 271, 258/2 रकबा क्रमशः 0.650, 0.200, 0.800, 0.390 एवं 0.320 हैक्टर कुल रकबा 2.36 हैक्टर भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	